



Bharat
RASAYAN LIMITED

NEAPS e-Uploading

Regd. Off. : 1501, Vikram Tower, Rajendra Place, New Delhi - 110008
Ph. : +91-11-43661111 (30 lines) • Fax : +91-11-43661100, 41538600
E-mail : info@bharatgroup.co.in • Website : www.bharatgroup.co.in
CIN : L24119DL1989PLC036264

BRL:651:2
October 17, 2023.

The Secretary
NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LTD.
Exchange Plaza, 5th Floor,
Plot No. C-1, "G" Block,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai – 400 051.

Reg.: Board Meeting to consider and approve the
Un-Audited Financial Results of the Company
for the quarter/six months ended 30.09.2023

Dear Sir,

Enclosed please find copies of advertisements published in "THE FINANCIAL EXPRESS", English-All Editions and "JANSATTA", Hindi-Delhi Edition, both dated 17.10.2023, for your information and record.

Thanking You,

Yours faithfully,
For BHARAT RASAYAN LIMITED


(Authorised Signatory)

Enclosed: As above.



Bharat Rasayan Limited

Regd. Office: 1501, Vikram Tower, Rajendra Place, New Delhi - 110003.

CIN: L24119DL1989PLC036264

Email: investors.br@bharatgroup.co.in Website: www.bharatgroup.co.in

NOTICE is hereby given, pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations), that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, November 7, 2023, inter-alia, to consider and approve the standalone & consolidated unaudited financial results of the Company for the quarter and six months ended September 30, 2023.

The said Notice may be accessed on the Company's website at <https://www.bharatgroup.co.in> and may also be accessed on the Listed Stock Exchange website at <https://www.nseindia.com>.

Further, the Trading Window of the Company shall remain closed from October 16, 2023 to November 9, 2023 (both days inclusive) for the specified persons in terms of Code of Conduct of the Company to regulate, monitor and report of trading in Company's securities by insiders framed under the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015.

For BHARAT RASAYAN LIMITED

Sd/-

(NIKITA CHADHA)

Company Secretary

New Delhi

October 16, 2023

INDOSTAR

पता - युनिट नंबर 505, 5वीं मंजिल, विंग 2/ई, क

नियम

जबकि, यहां उल्लिखित सुरक्षित लेनदार का प्राधिकार के तहत और धारा 13 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों 2023 को एक मांग नोटिस जारी किया, जिसमें आह्वान किया गया। उधारकर्ता(ओं) द्वारा राशि यु फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के तथ्याचरण पर सुरक्षा शिंत प्रवर्तन) नियम, 2002 के तहत है। उधारकर्ता का ध्यान सुरक्षित संपत्तियों के लिए आकर्षित किया जाता है। विशेष रूप से उधारकर्ता कोई भी लेनदेन नीचे उल्लिखित राशि और उस

ऋण खाता संख्या	उधारकर्ता(ओं) सह-उधारकर्ता(ओं) का विवरण	शिफ्ट क्र.
LSEDL05118-190002778	1. बेनी इंडस्ट्रीज 2. दिलीप चंद शर्मा 3. सतीश कुमार शर्मा	सात सी 03

स्थान: दिल्ली दिनांक: 17.10.2023.

अभियुक्त व्यक्ति की हाजरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82Cr.PC देखिये

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त 1. रवीन्द्र कुमार तिवारी पुत्र मातादीन तिवारी, निवासी सी-5/18, गली नंबर 05, दयालपुर एक्सटेंशन, दिल्ली और 2. मातादीन तिवारी, पुत्र राजनाथ, निवासी डी-82, नेहरु विहार, ब्लॉक डी-1, करावल नगर, दिल्ली और पता सी-5/18, गली नंबर 05, दयालपुर एक्सटेंशन, दिल्ली ने केस प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 062/09 धारा 505(I)(b)/509/182 आईपीसी पुलिस थाना स्पेशल सेल, नई दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उन्होंने किया है) और उस पर जारी किए गए रिपोर्टों के वारण्ट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त 1. रवीन्द्र कुमार तिवारी और 2. मातादीन तिवारी मिल नहीं रहे हैं और मुझे समाधान प्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त 1. रवीन्द्र कुमार तिवारी और 2. मातादीन तिवारी फरार हो गया है (या उक्त वारण्ट की तामीली से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहे हैं)।

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 062/09 धारा 505(I)(b)/509/182 आईपीसी पुलिस थाना स्पेशल सेल, नई दिल्ली के अभियुक्त 1. रवीन्द्र कुमार तिवारी और 2. मातादीन तिवारी से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक 23.11.2023 को या उससे पहले हाजिर हों।

आदेशानुसार

श्री मिथ्या सरवरिया

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट,

कमरा नंबर 26, एनेक्सी बिल्डिंग,

पटियाला हाउस कोर्ट, दिल्ली

DP/11614/Spl.Cell/2023 (Court Matter)

केनरा बैंक

Canara Bank

शाखा: केके पैलेस, बाजघेरा रोड,
राजेन्द्र पार्क, गुडगाँव-122001

कब्जा सूचना [धारा 13(4)] (अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, त्रितीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) (यहाँ के बाद "अधिनियम" वर्णित) के अंतर्गत केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 24.7.2023 जारी कर ऋणधारक मै. श्री हरि इंजीनियरिंग वर्क्स, प्रांयहाट श्री जसवीर, पुत्र श्री ओमप्रकाश, न्यू पालम विहार, सराय, अलावर्दी चौक, बजघेरा रोड, गुडगाँव, हरियाणा-122017 (ऋणधारक), श्री ओम प्रकाश, पुत्र श्री राम चन्द्र, एच. नं. 3223, वार्ड नं. 31, विष्णु गार्डन, गुडगाँव, हरियाणा 122017 (गारंटर) को उक्त सूचना की प्रतिलिपि की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 44,33,905.06 (रु. चौआलिस, लाख तैतीस हजार नौ सौ पांच पैसे रु. मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज 12 अक्टू. 2023 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 44,33,905.06 (रु. चौआलिस लाख तैतीस हजार नौ सौ पांच पैसे रु. मात्र) तथा उस पर ब्याज के लिये केनरा बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

क्लियर हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: आगरवाल कॉर्पोरेट टावर, प्लॉट नं. 23, 5वां तल, गाँवियन्द लाल सि राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली - 110008

सूचना (परिष्कृत IV) नियम : 8 (1)

जैसा कि वित्तीय, परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (2002 के 54) (यहाँ के बाद अधिनियम वर्णित) के अंतर्गत क्लियर हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (ऋण) द्वारा अधिनियम के अंतर्गत एक हाउसिंग फाइनेंस बैंक कम्पनी जिसका पंजीकृत आगरवाल कॉर्पोरेट टावर, प्लॉट नं. 285 वॉ तल, गाँवियन्द लाल सिक्का मार्ग, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली में है, के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम पठित अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी तिथि 17 अप्रैल, 23 जारी कर

1. कमला देवी, पत्नी विनोद कुमार सी- 123, प्रथम/भू तल, पाण्डव नगर, गणेश चौक, दिल्ली फोन नं. 8826011 279

इमेल आईडी - VINOD KUMAR @GMAIL.COM

साथ ही : ए 23 ए-ब्लॉक, साउथ गणेश नगर, शकुरपुर, ईस्ट दिल्ली, दिल्ली -110092

साथ ही : सदीप एण्टरप्राइजेस सी- 123, प्रथम/भू तल, पाण्डव नगर, गणेश चौक, दिल्ली-110 8826011 279

2. विनोद कुमार, पुत्र भागे सिंह, सी- 123, प्रथम/भू तल, पाण्डव नगर, गणेश चौक, दिल्ली-110 8826011 279.

साथ ही : ए 23 ए-ब्लॉक, साउथ गणेश नगर, शकुरपुर, ईस्ट दिल्ली, दिल्ली -110092

को-उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से साठ (60) दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि और रु.16,66,796.65/- (रु. सोलह लाख छियासठ हजार सात सौ छियासठ पैसे पैसैत मात्र) होने वाले ब्याज तथा अन्य चार्जिंग वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज 13 अक्टू. 2023 को अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (4) के अंतर्गत उन्हे प्रदत्त शक्ति करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित : सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 13 अप्रैल, रु.16,66,796.65/- (रु. सोलह लाख छियासठ हजार सात सौ छियासठ पैसे पैसैत मात्र) होने वाले ब्याज तथा अन्य चार्जिंग के लिए क्लियर के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति प्रतिभूत परिसम्पत्ति का विवरण इस प्रकार है!

एस.एल. एफ., वेद विहार, ग्राम हदबस्त सैदुल्लाबाद लोनी, तहसील, लोनी, जिला गाजियाबाद में स्थित प्लॉट नं. सी- 203 पर छत के अधिकार के बिना सम्पत्ति फ्लैट नं. एफएफ-1, प्रथम साइड) एलएफएस, एम.आई.जी. (दक्षिण पूर्व भाग) का सभी भाग तथा हिस्सा। चौड़ी : नं. सी-204, पश्चिम : 9 मीटर चौड़ा रोड, पूर्व : अन्य भूमि, दक्षिण: प्लॉट नं. सी-206

स्थान: गाजियाबाद (उ.प्र.)

तिथि : 13.10. 2023

क्लियर हाउसिंग फाइनेंस

बाजाज हाउसिंग

कार्यालय : सेक्टर 8 आईटी पार्क बी-2 बिल्डिंग, 5वां तल, शाखा कार्यालय : सी/4, प्लॉट नंबर 12, कोहिनूर एस्टेट हा वाकडेवाडी, पुणे-411003

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रा

धारा 13 (2) के तहत मांग

अधोहस्ताक्षरी ने मांग बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में एतद्वारा निर्दिष्ट की निर्देशन करने में असफल रहे हैं अतः बाजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा उनको सम्पत्ति के एवज अन्य प्रकारों के प्रतिभूतिकरण में असफल रहे हैं और उसके परिणामस्वरूप ऋण अनाकूल आरिष्ठ हो गए हैं। त प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की 13 (2) और उसके नियमों के तहत सूचनाएं, उनके अंतर्गत प्राप्त वे पर, जल्दी करवावली/सह-उधारकर्ता(ओं) को इस प्रकार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वे उन्के द्वारा सम्प

ऋण खाता संख्या/कर्जदार(री)/ सह-कर्जदार(री)/गारंटर(री) का नाम एवं पता

शाखा : पुणे (एलएफए नंबर H402HLT0561445)

1. कर्जदार (कर्जदार)

पता : फ्लैट नंबर 205, द्वितीय तल, बिल्डिंग नंबर ई, विंग-ई, रोहन अभिलाषा-ई, गेट नंबर 1458 से 1465, पुणे, महाराष्ट्र-412207

2. आकांक्षा अशोककुमार मिश्रा (सह-कर्जदार)

पता : बी-410, 12वां एवेन्यू, गौड सिटी 2, ग्रेटर नोएडा, लखनावली, गौड सिटी 1, ग्रेटर नोएडा, उ

प्राधिकृत

जाने

निम्न वर्णितानुसार गैर-कृषि

नंबर 205, द्वितीय तल, बिल्डिंग

मीटर, 'रोहन अभिलाषा-ई', न

न